<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 03/2025-26 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा /20010/एमवाईटीपी/बीएडीपीएल/जीएच/देहरादून /सीपी-I/2025-29

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 03/2025-26

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003,

जारी करने की तारीख: 16.05.2025

सेवा	**: ग्राउन्ड हैंडिलिंग सेवाएं (जीएचएस)**
सेवा प्रदाता	**: मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून**
हवाईअड्डा प्रचालक	**: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि. प्रा.)**

विषय: मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।

सेवा प्रदाता की प्रस्तुति:

1 मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड (बीएडीपीएल) ने अपने दिनांक 14.04.2025 के पत्र संख्या बीकेजे/एचओ/एईआरए/001 के माध्यम से सूचित किया कि उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 10 वर्ष की अवधि के लिए जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायत दी गई है। इस संबंध में, स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं:

(i) एएआई द्वारा जारी दिनांक 03.12.2024 का सेवाएं प्रदान करने संबंधी आशय पत्र (एलओआईए)

(ii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा जारी दिनांक 02.04.2025 का पत्र, जिसके अनुसार देहरादून हवाईअड्डे के लिए बीएएसजीपीएल को पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए अनुमति मंजूरी प्रदान की गई है।

2 मैसर्स बीएडीपीएल ने उपर्युक्त पत्र के माध्यम से बताया है कि उन्होंने जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून में अपनी प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं (जीएचएस) के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच, मैसर्स बीएडीपीएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि देहरादून हवाईअड्डे पर अपनी प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वह तदर्थ टैरिफ के लिए अनुमोदन प्रदान करें।

<u>मैसर्स बीएडीपीएल के अनुरोध की प्राधिकरण द्वारा जांच :</u>

3 प्राधिकरण ने नोट किया है कि एएआई (हवाईअड्डा प्रचालक) ने शुभाशीष वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एलएलपी, विजन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और शुभाशीष एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस एलएलपी के सह संघ (कंसोर्टियम) के पक्ष में जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से दस (10) वर्ष की अवधि के लिए, एएआई के पूर्ण विवेकाधिकार से एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने के प्रावधान के साथ,रियायत प्रदान करने संबंधी आशय पत्र जारी किया है।

4 रियायत प्रदान करने संबंधी उपर्युक्त आशय पत्र के अनुसार, सफल बोलीदाता से यह अपेक्षा थी कि वह भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को शामिल करे। तदनुसार, सफल बोलीदाता ने "मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड (बीएडीपीएल)" नामक एक एसपीवी का गठन किया है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि मैसर्स बीएडीपीएल ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 02.04.2025 के पत्र के तहत अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली है, जो जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

5 बीएडीपीएल के प्रस्ताव की प्रारंभिक समीक्षा के उपरांत प्राधिकरण ने कुछ कमियां/सूचना संबंधी अंतर पाया और तदनुसार मैसर्स बीएडीपीएल से अपेक्षित जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा:

(i) देहरादून हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एएआई और मैसर्स बीएडीपीएल के बीच किए गए करार की प्रति।

(ii) विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) अर्थात मैसर्स बीकेजे एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड के निगमन का प्रमाण पत्र।

(iii) विशेष प्रयोजन माध्यम का शेयरधारिता पैटर्न

6 ऐरा के प्रश्न के जवाब में, बीएडीपीएल ने दिनांक 24.04.2025 की ईमेल के माध्यम से एएआई और बीएडीपीएल के बीच देहरादून हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रभावी दस (10) वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित करार की एक प्रति प्रस्तुत की । इसके अलावा, आईएसपी ने दिनांक 25.04.2025 और दिनांक 30.04.2025 की ईमेल के माध्यम से विशेष प्रयोजन माध्यम के निगमन और शेयरधारिता पैटर्न का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। मैसर्स बीएडीपीएल (एसपीवी) की शेयरधारिता संरचना निम्नानुसार है:

मैसर्स बीकेजी एयरपोटर्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड का शेयरधारिता पैर्टन

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारक का पता	शेयरों की संख्या	धारित राशि का प्रतिशत
01	शुभाशीष वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एलएलपी	शुभाशीष, 12-13, राठौड़ नगर क्वींस रोड, जयपुर-302021	5100	51%

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारक का पता	शेयरों की संख्या	धारित राशि का प्रतिशत
02	विजन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	1008, (10वां तल), अंसल भवन, 16 के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001	2600	26%
03	शुभाशीष एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस एलएलपी	शुभाशीष कॉरपोरेट टॉवर, प्लॉट संख्या 12-13, राठौड़ नगर क्वींस रोड, वैशाली नगर, जयपुर-302021	2300	23%
		कुल	10000	100

7 प्राधिकरण ने पाया कि आईएसपी ने प्रमुख हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभारों के प्रावधान से संबंधित नागर विमानन मंत्रालय (मोका) के दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के पत्र संख्या एवी-24032/184/2022-एएआई-मोका के निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी प्रस्तुत किए हैं।

8 प्राधिकरण ने मैसर्स बीएडीपीएल की प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ दरों की तुलना अन्य तुलनीय हवाईअड्डों, जैसे अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ हवाईअड्डे पर अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों से की है।

9 जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून में इसकी प्रस्तावित ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में आईएसपी के लिए तदर्थ टैरिफ तय करने के लिए प्राधिकरण ने मैसर्स बीएडीपीएल द्वारा यथा प्रस्तावित टैरिफ दरों की तुलना अन्य तुलनीय हवाई अड्डों पर प्रचलित टैरिफ दरों से करने के बाद सबसे न्यूनतम टैरिफ दरों को माना है।

10 यह देखते हुए कि मैसर्स बीएडीपीएल द्वारा एमवाईटीपी प्रस्तुत करने और ऐरा द्वारा आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा, इस बीच नई एजेंसी द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालन प्रांरभ करने को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्राधिकरण मैसर्स बीएडीपीएल को जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून में अनुलग्नक-I, II और III के अनुसार ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से संबंधित तदर्थ टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लेता है। तदर्थ टैरिफ वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2025 तक या नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।

11 मैसर्स बीएडीपीएल को इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी प्रस्तुत करना होगा।

आदेश

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स बीकेजी एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड को वाणिज्यक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 30.09.2023 तक या स्वतंत्र सेवा प्रदाता के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक**,** जो भी पहले हो**,** जॉली ग्रांट हवाईअड्डा हवाईअड्डा, देहरादून में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए संलग्नक **I, II** और **III** के अनुसार प्रभार लगाने और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेडयूल्ड और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूने जाने वाले अधिकतम प्रभार होगें। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(iv) मैसर्स बीकेजी एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021–एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार जॉली ग्रांट हवाईअड्डा हवाईअड्डा, देहरादून में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(v) इसमें अनुमोदित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री मोहित जाजू,
निदेशक,
मैसर्स बीकेजी एयरपोर्ट्स देहरादून प्राइवेट लिमिटेड,
भूतल, प्लॉट -802, इंदिरा नगर, वसंत विहार न्यू फॉरेस्ट,
देहरादून-248006, उत्तराखंड

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) अध्यक्ष, भारतीय विमानन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
3) हवाईअड्डा निदेशक, एएआई, जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून